# उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्रांकः [illegible] / लेखा / 2020—21 दिनांक—22-5-2020

समस्त शाखा / वरिष्ठ / क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

**विषयः—वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु आयकर कटौती / गणना।**

अवगत कराना है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गत परिपत्र सं0 F.No. 370142/13/2020. TPL दिनांक 13.04.2020 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020—21 से आयकर अधिनियम—1961 की धारा 115 BAC दिनांक के अंतर्गत स्रोत पर आयकर की कटौती किये जाने के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश प्रेषित किये गये है। जैसा कि आप अवगत ही हैं कि वित्तीय वर्ष 2020—21 से आयकर की गणना एवं कटौती हेतु वर्तमान पद्धति के साथ नवीन पद्धति भी लागू की गई है जो निम्नवत हैः—

| Income Tax Slab | Tax Rate Old Regime | Tax Rate New Regime |
|---|---|---|
| Up to Rs. 2.50 Lakh | Nil | Nil |
| Rs. 2.50 Lakh to Rs. 5.00 Lakh | 5% | 5% |
| Rs. 5.00 Lakh to Rs. 7.50 Lakh | 20% | 10% |
| Rs. 7.50 Lakh to Rs. 10.00 Lakh | 20% | 15% |
| Rs. 10.00 Lakh to Rs. 12.50 Lakh | 30% | 20% |
| Rs. 12.50 Lakh to Rs. 15.00 Lakh | 30% | 25% |
| Rs. 15.00 Lakh and above | 30% | 30% |

नवीन आयकर योजना के अंतर्गत निम्नलिखित छूट को समाप्त कर दिया गया हैः—
1—मानक कटौती
2—मकान किराया भत्ता
3—वाहन भत्ता
4—भवन ऋण पर ब्याज
5—अध्याय VI-A के अंतर्गत 80 CCD (2) तथा 80 JJA के अतिरिक्त अन्य समस्त छूट।
नोट—धारा 87A के अंतर्गत रू0 5.00 लाख तक की आय पर मिलने वाली छूट यथावत रहेगी।

इस सम्बन्ध में आपसे अपेक्षित है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देशों के अनुरूप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से पुराने अथवा नये आयकर नियम में रहने का विकल्प प्राप्त करने के उपरान्त तद्नुसार ही वेतन से प्रतिमाह आयकर की कटौती किया जाना सुनिश्चित करे।

(शैल कुमारी)
महाप्रबन्धक (लेखा)

**प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—**

1. समस्त अधिकारी / कर्मचारी, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
2. उप महाप्रबन्धक / प्राचार्य, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. प्रबन्धक (आई0टी0सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को ई—मेल पर अपलोड करने हेतु।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

महाप्रबन्धक (लेखा)